# उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

**विविध वाद संख्या संख्या–10/2019**
**मो0 मुख्तार आलम एवं अन्य**
**–बनाम–**
**मो0 शहजाद अहमद उर्फ शहजाद एवं अन्य**

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| दिनांक :- 15/12/2022 | प्रस्तुत मामला अंचल–कटकमदाग के अन्तर्गत मौजा–तिलैया के खाता संख्या–03, प्लॉट संख्या–222 वगै0, कुल रकबा–18.17 एकड भूमि से संबंधित है।<br>आवेदक मोख्तार आलम एवं अन्य के द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया है कि वे लोग ग्राम–तिलैया के निवासी हैं तथा उनके पूर्वजों के नाम से खतियान, रसीद है, जहॉ उनका घर इत्यादि भी है। आवेदन के साथ Complaint Case No. 2329/2018 में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा A.B.A.Case No. 6834/2019 में पारित आदेश, पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग के समक्ष दिए गए अभ्यावेदन की प्रति, खतियान की प्रति समर्पित करते हुए शिकायत दाखिल किया गया है कि कुछ लोग यथा नौशाद खान, इबराक हसन इत्यादि संबंधित भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने, चहारदिवारी निर्माण करने एवं उनके घरों में घुसकर आवेदकगण एवं महिलाओं को मारपीट की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में मुख्यतः सैयद सहजाद अहमद उर्फ सहजाद के विरूद्ध शिकायत की गई।<br>तदनुसार उक्त समर्पित अभ्यावेदन के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि कोई अप्रिय घटना उत्पन्न न हो ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि पर पत्रांक 1377/विधि दिनांक 04.11.2019 के द्वारा Status quo लगाते हुए अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अर्द्धसरकारी प्रक्रिया के तहत विविध वाद संख्या 10/2019 मो0 मुख्तार आलम एवं अन्य बनाम सैयद सहजाद अहमद उर्फ सहजाद एवं अन्य वाद प्रारम्भ कर दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। इस मामले में सुनवाई के क्रम में अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग से भी विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई।<br>सुनवाई के क्रम में प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष रखा गया कि प्रश्नगत भूमि आवेदक के पूर्वजों के नाम से है। | |

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

अपने पक्ष में खतियान, भूतपूर्व जमींदार द्वारा जारी मालगुजारी रसीद, आवेदक की ओर से नोटरी पब्लिक से निर्गत अपना वंशावली का शपथ पत्र की प्रति, कटकमदाग थाना से दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कांड संख्या 123/19 एवं कांड संख्या 130/19 में अनुमण्डलीय पुलिस पदाधिकारी बड़कागॉव के पर्यवेक्षण टिप्पणी की प्रति समर्पित किया गया।

द्वितीय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अभिलिखित कथन दाखिल किया गया कि प्रश्नगत भूमि के के वैध उत्तराधिकारी गफ्फार मियां के द्वारा निबंधित केवाला संख्या 313 दिनांक 13.01.1948 के माध्यम से दोस्त मोहम्मद एवं उनकी पत्नी सेबरतन को विभिन्न खाता के कुल 20.22 एकड़ भूमि विक्रय एवं हस्तान्तरित किया गया था जिनमें से खाता नं0–03 के 17.07 एकड़ भूमि सन्निहित था। तत्पश्चात इन लोगों के द्वारा खाता संख्या–03 में से 13.46 एकड़ भूमि निबंधित केवाला संख्या 12317 दिनांक 14.06.1974 के माध्यम से बीबी शाहुदन निशा पति सैयद मो0 नाजीर को बिक्री किया गया था। विपक्षी मो0 शहजाद उक्त दोनों के पोता हैं। प्रश्नगत भूमि 13.46 एकड़ भूमि द्वितीय पक्ष की है। विपक्षी के द्वारा अपना यह भी पक्ष रखा गया कि प्रथम पक्ष की ओर से व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग में टाइटल सूट नं0 07/2019 दाखिल किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर लगाए गए Status quo को हटाने तथा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में चल रहे इस वाद को समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

सुनवाई के क्रम में अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के पत्रांक 456/रा0 दिनांक 18.02.2021 के माध्यम से अंचल अधिकारी, कटकमदाग के पत्रांक 74/अ0 दिनांक 19.01.2021 के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त मुख्यतः अंकित पाया गया कि सर्वे खतियान अनुसार खतियान में मौजा तिलैया थाना संख्या–92, खाता संख्या–03 कुल

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

रकबा 18.71 एकड़ शेख जुमन वल्द शेख गुलाब का नाम दर्ज है। उक्त भूमि रैयती खाता की है। प्रश्नगत भूमि में विभिन्न व्यक्तियों के नाम से पंजी II में जमाबंदी कायम है जिनमें से 12.86 एकड़ भूमि बीबी सहुदन निशा पति मो0 नाजीर साकिन मालवीय मार्ग, हजारीबाग के नाम से दर्ज है तथा ऑनलाईन लगान रसीद वर्ष 2018–19 तक निर्गत है। जांच में यह भी पाया गया कि प्लॉट नं0 222 रकबा 0.36 एकड़ भूमि पर केवालादार रैयत बीबी सहदुन निशा का चहारदिवारी निर्मित है एवं शेष भूमि परती के रूप में है।

इस प्रकार दोनो पक्षों की ओर से रखे गये पक्ष, अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नगत भूमि रैयती भूमि है तथा इस मामला से संबंधित व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या 07/2019 चल रहा है ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय से किसी प्रकार निर्णय/आदेश पारित करने का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं बनता है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों पर समीक्षा एवं विवेचनोपरान्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से 1377/विधि दिनांक 04.11.2019 द्वारा जारी Status quo समाप्त करते हुए इस वाद को निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.07.13 17:43:38 +05:30
Location: 192.168.100.50